ई–मेल / डाक
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ 1(5)।।।/सी/निर्वा/2019/ 4685 जयपुर, दिनांकः 19.4.2019

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
राजस्थान ।
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर),
राजस्थान।

विषयः– लोकसभा निर्वाचन 2019– वीवीपेट के पावर पैक के उपयोग के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1(5)।।।/सी/निर्वा/2019/4617 दिनांक 18.04.2019 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.51/8/7/2019–EMPS दिनांक 09 अप्रैल, 2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आयोग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात् वीवीपेट के पावर पैक (बैटरी) पोलिंग एजेन्ट की उपस्थिति में निकाले जाने के निर्देश दिए हैं। मतदान पूर्ण होने के उपरांत केवल वीवीपेट की पावर पैक (बैटरी) निकाले जाने के उपरांत ही वीवीपेट के केरिंग केस को पोलिंग ऐजेन्ट की उपस्थिति में सील किया जाएं। **इस विषय में विभाग द्वारा दिनांक 18.04.2019 को जारी दिशा–निर्देशों में संशोधन करते हुए इस विषय में निम्न प्रकार से SOP निर्धारित की जानी है।**

पावर पैक निकाले जाने के संबंध में निम्न मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पालन किया जावें:–

अ) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति उपरांत वीवीपेट बैटरी निकाला जानाः

1. केवल वीवीपेट के पावर पैक (बैटरी) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उपस्थित पोलिंग ऐजेन्ट की उपस्थिति में वीवीपेट से पृथक किया जावें।
2. कन्ट्रोल यूनिट की सील की हुई बैटरी को किसी भी दशा में नहीं निकाला जाना है।
3. मतदान के दौरान पूरा सेट बदले जाने या वीवीपेट बदले जाने पर भी जो डिफेक्टिव वीवीपेट हैं उसकी बैटरी तत् समय ही निकाल कर वीवीपेट को सील किया जाएं।
4. पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपेट की बैटरी निकालने के संबंध में मतदान समाप्ति उपरांत संलग्न फार्मेट में प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में जारी कर तैयार करेंगे।

www.rajteachers.com

5. प्रमाण पत्र पर उपस्थित पोलिंग ऐजेन्ट का नाम, दल का नाम, हस्ताक्षर आदि भी अनिवार्यतः ले।
6. बैटरी को पृथक से इस प्रकार रखे की सामग्री जमा करते वक्त उसे पृथक से जमा किया जा सकें।

ब) मतदान समाप्ति के उपरांत कलेक्शन सेन्टर पर की जाने वाली कार्यवाही

1. वीवीपेट की बैटरी मय प्रमाण पत्र के प्राप्त करने हेतु मशीन जमा करने के काउन्टर के साथ ही बैटरी जमा करने के लिए एक छोटी टेबल की व्यवस्था मय कर्मचारी के की जावें तथा रजिस्टर बनाकर रिकार्ड एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सुरक्षित संधारित किए जावें।
2. वीवीपेट की बैटरियों को किसी भी दशा में ईवीएम वीवीपेट के जिला/विधानसभा के स्ट्रांग रूम (A & B Category) में नहीं रखी जावें।
3. उक्त प्रकार से संपूर्ण वीवीपेट की पावर पैक (बैटरी) सुरक्षित रिकार्ड के साथ संधारण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एक प्रमाण पत्र संलग्न फार्मेट में जारी करेगें तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को मतदान दिनांक +1 दिवस उपलब्ध कराएंगे।

नोटः– कन्ट्रोल यूनिट की सील की हुई बैटरी को किसी भी दशा में नहीं निकाला जाना है।

कृपया मतदान समाप्ति उपरांत वीवीपेट के पावर पैक (बैटरी) निकाले जाने के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएं तथा ट्रेनिंग में सभी संबंधितों को संशोधित निर्देशों से अवगत कराया जाए।

उक्त प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर से मुद्रित/फोटो कॉपी/कम्प्यूटर से जनरेट कर सकते है।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

www.rajteachers.com

(डॉ. रेखा गुप्ता)
अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ 1(5)।।।/सी/निर्वा/2019/ 4685 जयपुर, दिनांकः 19/4/19

प्रतिलिपिः–

1. श्री मधूसुदन गुप्ता, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

मतदान समाप्ति उपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा
वीवीपेट के पावर पैक (बैटरी) निकाले जाने के संबंध में प्रमाण (तीन प्रतियाँ)

मैं.. पीठासीन अधिकारी केन्द्र क्र. .... लोकसभा क्षेत्र समाविष्ट क्षेत्र क्र. .... यह प्रमाणित करता हूं कि मतदान समाप्ति के पश्चात् वीवीपेट की कुल .... पावर पैक (बैटरी) स्वंय निकाल कर पृथक संधारित की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

(i) मतदान प्रारम्भ से समाप्ति तक उपयोगित वीवीपेट की संख्या	
(ii) मतदान के दौरान वीवीपेट की केवल बैटरी बदली गई है, की संख्या	
(iii) कुल उपयोगित बैटरियों की संख्या, जो निकाली गई (i)+ (ii)	

प्रति हस्ताक्षर
सेक्टर ऑफिसर

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम..

ऊपर वर्णित तालिका के अनुसार मेरे/हमारे समक्ष मतदान समाप्ति उपरांत उपयोग किए गए वीवीपेट की बैटरियां वीवीपेट से निकाली गई

स.क्र.	मतदान अभिकर्ता का नाम	अभ्यर्थी का नाम	दल सहबद्धता/ निर्दलीय	हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारी से वीवीपेट के पावर पैक (बैटरी) प्राप्त किए जाने तथा सुरक्षित रखे जाने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं.. जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला .... यहां प्रमाणित करता हूं कि जिले के अन्तर्गत आने वाले निम्न विधासभा क्षेत्रों के सम्मुख दर्शाए गए विवरण अनुसार केवल वीवीपेट की बैटरियां स्थान .... में सुरक्षित संधारित की गई हैं, जो ईवीएम एवं वीवीपेट के जिला/विधानसभा के स्ट्रांग रूम (Category A & B), के स्थान से पृथक है:–

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	मतदान प्रारम्भ से समाप्ति तक उपयोगित बैटरी की संख्या	मतदान क दौरान वीवीपेट की केवल बैटरी बदली गई है, की संख्या	कुल उपयोगित बैटरियों की भौतिक संख्या जो मतदान उपरांत कलेक्शन सेन्टर पर प्राप्त की गई
1	2	3	4

नोट'– कॉलम 2+3 का योग कॉलम 4 में बताई गई संख्या के बराबर होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम..

www.rajteachers.com